THE UTTAR PRADESH OFFICIAL LANGUAGE (SUBORDINATE COURTS) ACT, 1970

[U. P. ACT NO. 17 OF 1970]

[**Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Official Language (Subordinate Courts) Act, 1970.*]

AN

ACT

to provide for the replacement of English by Hindi as the language of judgments and orders of subordinate courts.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first] Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Official Language (Subordinate Courts) Act, 1970.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

Amendment of section 137 of Act V of 1908.

2. In section 137 of the Code of Civil Procedure, 1908, in sub-section (3), the following proviso thereto shall be *inserted*, namely :

"Provided that with effect from such date as the State Government in consultation with the High Court may by notification in the *Gazette* appoint, the language of every judgment, decree or order passed or made by such courts or classes of courts subordinate to the High Court and in such classes of cases as may be specified shall only be Hindi in Devanagri script with the international form of Indian numerals."

Amendment of section 367 of Act V of 1898.

3. In section 367 of the Code of Criminal Procedure, 1898, in sub-section (1), the following proviso thereto shall be *inserted*, namely :

"Provided that with effect from such date as the State Government in consultation with the High Court may by notification in the *Gazette* appoint, the language of every judgment or order passed or made by such courts or classes of courts subordinate to the High Court and in such classes of cases as may be specified shall only be Hindi in Devanagri script with the international form of Indian numerals."

Repeal of U. P. Ordinance no. 4 of 1970.

4. The Uttar Pradesh Official Language (Subordinate Courts) Ordinance, 1970 is hereby repealed.

---

*[For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated March 3, 1970.]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 9, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 12, 1970.]

[Received the Assent of the President on April 7, 1970 under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette, Extraordinary*, dated April 8, 1970.]

PSUP—A. P. 52 Genl. (Leg.)—1970. 1,848 (M.).

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1970)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 9 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 12 मार्च, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।]

["भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 7 अप्रैल, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 8 अप्रैल, 1970 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों तथा आदेशों की भाषा के रूप में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी रखने की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अधिनियम, 1970 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

अधिनियम संख्या 5, 1908 की धारा 137 का संशोधन

2—सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 137 की उपधारा (3) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उच्च-न्यायालय के अधीनस्थ ऐसे न्यायालयों या वर्गों के न्यायालयों द्वारा और ऐसे वर्गों के वादों में, जो निर्दिष्ट किये जायं, पारित किये गये या दिये गये प्रत्येक निर्णय, डिक्री या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित व भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के सहित हिन्दी होगी ।"

अधिनियम संख्या 5, 1898 की धारा 367 का संशोधन

3—दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 367 की उपधारा (1) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि उस दिनांक से जिसे राज्य सरकार उच्च न्यायालय के परामर्श से गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, उच्च न्यायालय के अधीनस्थ ऐसे न्यायालयों या वर्गों के न्यायालयों द्वारा और ऐसे वर्गों के वादों में, जो निर्दिष्ट किये जायं, पारित किये गये या दिये गये प्रत्येक निर्णय या आदेश की भाषा केवल देवनागरी लिपि में लिखित व भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के सहित हिन्दी होगी' ।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या 4, 1970 का निरसन

4—उत्तर प्रदेश राजभाषा (अधीनस्थ न्यायालय) अध्यादेश, 1970, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

[उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 3 मार्च, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।]

पी ०एस० य० पी०—ए० पी० 53 जनरल (लेग०)—1970—1,830 (मे०) ।